भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5141
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत श्रीअन्न की आपूर्ति

5141. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पौष्टिक श्री अन्न की खरीद और आपूर्ति करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा श्री अन्न की खरीद और आपूर्ति पर विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) लोगों में कुपोषण, एनीमिया और मधुमेह को कम करने में योजना की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं;

(घ) क्या कुपोषण और एनीमिया को दूर करने, विशेष रूप से देश में विविध, स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए किसी अन्य बैकल्पिक खाद्यान्न/अनाज पर विचार किया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): मोटे अनाज की खरीद को राज्यों/एफसीआई द्वारा खरीदे गए मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आदि) और 6 लघु मिलेट्स के आबंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। इन दिशा-निर्देशों के तहत, राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विकेंद्रीकृत खरीद पद्धति में इन वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति है।

...2/-

(ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद और आपूर्ति के लिए जारी खाद्य सब्सिडी:

वर्ष	जारी की गई खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
2021-22	1682.12
2022-23	1724.94
2023-24	1198.77
2024-25 (दिनांक 24.03.2025 तक)	1629.40

(ग): इस विभाग ने चरण-I (वर्ष 2018-20) और चरण-II (वर्ष 2020-23) के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए निगरानी संस्थानों (एमआई) को नियोजित किया है।

(घ) और (ड.): एनीमिया और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। इस पहल का उद्देश्य आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराके सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से एनीमिया से निपटना है।

इस पहल को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया और मार्च, 2024 तक सरकार की प्रत्येक स्कीम में सभी कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है। अक्टूबर, 2024 में मंत्रिमंडल ने दिसंबर, 2028 तक केंद्रीय क्षेत्र की पहल (सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित) के रूप में इस पहल को जारी रखने की मंजूरी दी है।

*****